न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

ताराशंकर पिता लादुराम जी जोशी, निवासी पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक पिता मोहनलाल जी महाजन, नि0 पदराडा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. रमेश पिता मोहनलाल जी महाजन, नि0 पदराडा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. कमलेश पिता डालचन्द जी महाजन, नि0 पदराडा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती लीलाबाई पुत्री डालचन्द महाजन, नि. पदराडा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. सगरमल पिता डालचन्द जी महाजन, नि0 पदराडा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्रीमती सुशीलाबाई पुत्री डालचन्द महाजन, नि.पदराडा, तह.गोगुन्दा, जिला उदयपुर
7. बंशीलाल पिता मनरूप जी जोशी (ब्राहमण), नि.पदराडा, तह.गोगुन्दा, जिला उदयपुर
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक 25–01–2021 प्रकरण संख्या 59 / 2017

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 7
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 1025 रकबा 0.0600 हैक्टर, 1035 रकबा 0.0750 हैक्टर, 1041 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.1750 हैक्टर ग्राम पदराडा, तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिसमें से आराजी नंबर 1025 रकबा 0.0600 हैक्टर वादी के हिस्से में रखी है। उक्त कुल आराजियात में वादी का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1 / 3 हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की आराजी नंबर 1025 पर तथा शेष आराजियात पर काश्त काबिज हैं। अतः वाद वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–09–2019 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। दिनांक 26–12–2019 को वादी की ओर से धारा 152 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंशीलाल द्वारा प्रतिवादीगण से भूमियां क्रय किये जाने के कारण उसे पक्षकार संस्थित कर पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 30–12–2019 को पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। तत्पश्चात् दिनांक 25–01–2021 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री का ज्ञान नहीं था, दिनांक 07–04–2021 को जब विपक्षी संख्या 7 मौके पर आये तथा आराजी नंबर 1025 से कब्जा हटाने को कहा तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किय

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 19–06–2020 अपीलान्ट की उपस्थिति कब्जे की स्थिति अनुसार तैयार की गयी, परन्तु वह रिपोर्ट पत्रावली से गायब हो गयी एवं नयी रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, जिसमें प्रत्येक आराजी के दो–दो टुकड़े कर न्यायालय में पेश की गयी है एवं न्यायालय ने जिस दिन रिर्पोट तहसीलदार द्वारा पेश की गयी उसी तारीख को अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो काबिल निरस्त के है। बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है तथा एक पक्ष को फायदा पहुंचाने की गरज से अंतिम डिक्री जारी की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

25–01–2021 निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट के हिस्से में आराजी नंबर 1025 रकबा 0.0600 हैक्टर रखी जाकर 1035 रकबा 0.0750 हैक्टर एवं 1041 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1150 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 बंशीलाल के रखे जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 2008 S.C. Page 2990, RBJ (24) 2017 Page 299 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राप्त विभाजन प्रस्तात के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फर्द बंटवारे में वादी एवं प्रतिवादी बंशीलाल को प्रत्येक आराजी में उनके हिस्से अनुसार हिस्सा दिया गया है, जिमसें अपीलान्ट के हिस्से में प्रत्येक आराजी में से हिस्सा दिया जाकर उसके हिस्से में कुल रकबा 0.0600 हैक्टर तथा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट बंशीलाल के हिस्से में से प्रत्येक आराजी में से कुल रकबा 0.01150 हैक्टर रखा गया है। अपीलान्ट ने भी अपनी अपील में कुल रकबा 0.0600 हैक्टर की ही मांग की है, जो रकबा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दिया गया है, किन्तु वह उक्त रकबा केवल आराजी नंबर 1025 का ही चाह रहा है, जिसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, क्योंकि विभाजन में प्रत्येक आराजी में समस्त पक्षकारान के हिस्से को ध्यान में रखते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाता है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य भिन्न होने से वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2021 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

ताराशंकर पिता लादुराम जी जोशी, निवासी पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर बनाम **अशोक पिता मोहनलाल जी महाजन, निवासी पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**28 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**01**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दुर्गासिंह शक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested